अपील सूचना अधिकार संख्या 08/2020 (RCMS 2020/00008) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्ट ऑर्डर नं. 986468) बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.02.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए और लिखित बहस पेश की, जो शामिल मिसल की गई और कथन किया है कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके 13 बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना उपलब्ध की प्रार्थना की है और धारा 20(1) व 20(2) के तहत शास्ति अधिरोपित करने व हर्जाना अप्रार्थी को दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2019 के द्वारा अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. प्रार्थी का पत्रांक दिनांकित 3.08.2019 के आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व आरआर नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र प्राप्ति से दिनांक 30.10.2019 तक जो जो कार्यवाही की गई, उस कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
3. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

4. आपके पत्रांक 19.03.2019 पर की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही करने वाले अधिकारी का नाम व पद की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
5. आपके पत्राक दिनांकित 05.04.2019 पर की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही करने वाले कर्मचारी व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
6. आपके पत्रांक 814 दिनांक 29.05.2019 पर की गई सम्बन्धित अधिकारी की कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
7. कार्यवाही करने वाले अधिकारी का नाम व पद की सूचना प्रत्येक....
8. आपके पत्रांक 1087 दिनांक 11.07.2019 पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
9. सम्बन्धित कर्मकार व अधिकारी द्वारा कार्यवाही करने वाले का नाम व पद की सूचना।
10. राजस्व मंडल, अजमेर का पत्रांक6872 दिनांक 23.08.2018 के आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व उस पर की गई कार्यवाही की सूचना।
11. राजस्व मंडल के पत्रांक 6872 पर महेन्द्र छाबडा स्टाम्प वेण्डर के विरूद्ध आज तक कार्यवाही जिस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं की गई है, उस अधिनियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

12. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांकित 2.08.2019 के पृष्ठ संख्या 2 में अंकित तथ्य के बारे में श्री सुरेन्द्र सिंह, कोषाधिकारी द्वारा एफ. आई.आर. दर्ज करने के आदेश के उपरांत धारा 188 आई.पी. सी. के तहत कार्यवाही अवज्ञा के आधार पर उनके विरूद्ध करवाने बाबत सूचना।
13. प्रार्थी के पत्रांक 02.08.2019 के द्वितीय पृष्ठ में अंकित तथ्यों की की बाबत। संदर्भ में श्री महेन्द्र छाबडा के विरूद्ध नियमों की भगिमां में स्टाम्प विक्रय जाने के आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज किये जाने बाबत सूचना।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक पंजीयन/2019/1860 दिनांक 13.11.2019 से अपीलार्थी को चाही गई सूचना के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासगिंक पत्र में लेख है कि आप द्वारा इस कार्यालय में आवेदन पत्र 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 30.10.2019 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसमें आप द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 13 तक सूचना चाही गयी है। अतः इस हेतु सूचना देने से पूर्व निर्धारित 2/—प्रति पृष्ठ शुल्क से कुल पृष्ठ 15 के हिसाब से 30/— शुल्क आप इस कार्यालय में कार्यदिवस में जमा करवायें जिससे आपको वांछित सूचना भिजवाई जा सके।

-sd-
प्रभारी अधिकारी पंजीयन
एवं अति. जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 13.11.2019 के पत्र से निर्धारित समय सीमा 30 दिवस में सूचित किया गया है कि वह अपनी 13 बिन्दुओं की सूचनाओं से सम्बन्धित निर्धारित 30/— रूपये शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकता है। उक्त राशि अभी तक अपीलार्थी द्वारा राजकोष में जमा नही करवाई गई है। निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्रार्थी वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है।

अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी से उक्त निर्धारित फीस जमा करवाकर वांछित देय सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर